

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिहास/वर्णन	नम्बर व तारीख अदालत जो हुकम की सामील में जारी हुए
9.4.19	पत्रावली पेश हुई, अपीलान्त एवं अपीलान्त के अधिकारता उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित, पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के विकल्प आग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 12.4.19 की पेश हो।	
12.4.19	उभय पक्ष उपस्थित पीलसीम अधिकारी राजकीय कार्य से हस्तक्षेप अवकाश पर है / उपस्थित है। आतः पत्रावली दिनांक 12.4.19 की पेश हो। उपर उपखण्ड अधिकारी सम्बन्ध	
14.5.19	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त एवं अपीलान्त के अधिकारता उपस्थित, विपक्षी सं. 1 अनुपस्थित / विपक्षी सं. 1 को छितनी मर्तवा आवजे फिलार्थी जागे उपरान्त भी उपस्थित नहीं। विपक्षी सं. 1 के विकल्प एक तरह कार्यवाही किये जागे का आदेश दिया जाता है / विपक्षी सं. 2 उपस्थित। विपक्षी सं. 2 जवाब हेतु मौका चाखे है। विपक्षी सं. 2 को जवाब हेतु मौका दिया जाता है वास्ते पत्रावली में विपक्षी सं. 2 के जवाब हेतु नियत दिनांक 28.5.19 की पेश हो।	
28.5.19	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त व अपीलान्त के वकील उपस्थित- विपक्षी सं. 2 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शाशिव पत्रावली किया गया। उभयपक्ष बहस करना चाहते हैं उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली में आदेश हेतु नियत दिनांक 31.5.19 की पेश हो।	
31.5.19	पत्रावली पेश हुई अपीलान्त व अपीलान्त के वकील उपस्थित, वकील अपीलान्त में बहस के दौरान बताया कि ग्राम गोविन्दपुर।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नीलवाड़ा

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

परवार हल्का चांदरास तहसील भांडल की जमाबंदी
संवत् 2070 से 2073 के खाता से 30 मै आरजी नं.
1290/1105 रकवा 05 लीखा स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आमाही
यात के अपीलार्थी ने जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से
फिनांक 16.12.14 को फाना पिता गोपाल बलार्ड निवासी
मैगाडिया कारवेड़ा से क्रय की थी। जिसका इंतकाल
अपीलार्थी के नाम फिनांक 19.5.2015 को नामान्तरण
सेरत्पा 1139 खोल दिया गया था। किन्तु वेरपोडेन्ट
सेरत्पा 01 में बिना अपीलार्थी की सूचना दिए बगैर
उक्त नामान्तरण को फिनांक 19.05.2015 को निरस्त
कर दिया गया, जिसका की उन्हे कोई अधि छद्द मही
था, बयो कि उक्त आवाजियत अपीलार्थी ने क्रय
की थी, जिस पर अपीलार्थी का बिज होकर उपयोग
उपयोग कर रहा है तथा उसका नामान्तरण भी
अपीलार्थी के नाम पर पूर्व में रकल गया था, लेकिन
केवल मात्र वेरपोडेन्ट सेरत्पा 01 ने यह अंकित कर
दिया कि इंतकाल मम्पर 1139 को कोरम के समय
पेश हुआ, परन्तु केना विडेटा आज तक उपस्थित
नही होने से इन्तकाल सदन द्वारा निरस्त सर्व
समिति से किया जाता है अतः उक्त आदेश पूर्णतया
त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त घोषित किया जाये।

मैने पत्रावली का अश्लोकन किया और पत्रावली
में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। उपरोक्त
विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अपनी अपील
को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण अपील
स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ अतः

∴ ∴ आदेश ∴ ∴

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोविन्दपुरा
परवार हल्का चांदरास तहसील-भांडल जिला-

जपखण्ड अधिकारी
भांडल जिला बीलगाड़ा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>भिलवाड़ा के शाराजी सं- 1290/1105 अकला 05 बीघा आवत शकल गया मामान्तरण सं- 1139 जिसे ग्राम पंचायत चांदरास द्वारा अपास्त किये जाने का आदेश दिनांक 19-5-2015 को पारित किया उक्त आदेश 19-5-15 को अपास्त कर तबसीलदार मोज्ज को निर्देशित किया जाता है विक्रय पत्र दिनांक 16-12-14 के अनुसार मकीन निर्माण पारित करे। पत्राकली फैसल शुमार होकर नम्बर से रुम हो</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा